न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजिस्टेशन नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/65/2020	2020/00125	17/03/2020	21.09.2021

1- Aavas Financiers Limited (पूर्व नाम ए.यू.हाउसिंग फाईनेन्स लि0)201–202, द्वितीय मंजिल, साउथ एण्ड स्कवायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर (राजस्थान) शाखा कार्यालय अलवर जरिये प्राधिकृत अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता विक्रमादित्य वशिष्ठ।

प्रार्थी

बनाम

1- रोहिताश मीणा पुत्र श्री मोतीलाल मीणा, निवासी ग्राम मांदरी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर (राजस्थान)

2- श्रीमती लाली देवी पत्नी श्री रोहिताश मीणा, निवासी मकान नं0 79, ग्राम मांदरी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर (राजस्थान)

3- राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री नारायण, निवासी मकान नं0 514, बस स्टैण्ड के पास, तहसील थानागाजी, जिला अलवर (राजस्थान)।

अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को कुल 5,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा दिनांक 23.01.2016 को उपलब्ध कराई थी, तथा अप्रार्थी ऋणीयों/जमानतदारो द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वंय की सम्पत्ति, मूल ऋणी रोहिताश मीणा की मिलकियत का भूखण्ड पैमाईशी 30X45 फुट यानि 150 वर्गगज जो कि आराजी खसरा नं0 1706 ग्राम थानागाजी, जिला अलवर का भाग है। जिसके तरफ पूर्व को भूखण्ड अन्य का हक आसार चपेटवा, तरफ पश्चिम को रास्ता 25 फुट, तरफ उत्तर को मकान केता आसार हक चपेटवा, तरफ दक्षिण को भूखण्ड अन्य का आसार हक चपेटवा है, को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तो के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा मूल ऋण राशि 2,21,286+ ब्याज 16,333+ लेट पेमेन्ट पेनेल्टी 46,493+ अन्य चार्जेज 37,260 सहित कुल 3,21,372.41 रूपये (शब्देन तीन लाख इक्कीस हजार तीन सौ बहत्तर रूपये इकतालीस पैसे मात्र) की अदायगी नही की गई। प्रार्थी की उपरोक्त सम्पत्ति मूल ऋणी रोहिताश मीणा की मिलकियत का भूखण्ड पैमाईशी 30X45 फुट यानि 150 वर्गगज जो कि आराजी खसरा नं0 1706 ग्राम थानागाजी, जिला अलवर का भाग है। जिसके तरफ पूर्व को भूखण्ड अन्य का हक आसार चपेटवा, तरफ पश्चिम को रास्ता 25 फुट, तरफ उत्तर को मकान केता आसार हक चपेटवा, तरफ दक्षिण को भूखण्ड अन्य का आसार हक चपेटवा है, को नो परफोर्मिग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

जिला कलक्टर अलवर

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया व अप्रार्थी वकील/अप्रार्थी अनुपस्थित एव ना ही पूर्व में कोई जवाब पेश किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिये जाते हैः–

1- रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।

2- आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रकिया/प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार थानागाजी, जिला अलवर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है, कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानो की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावें। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक अलवर, जिला अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर
जिला कलक्टर, अलवर